

जाट बोर्डिंग हाऊस, सीकर

1. संस्था का नाम व पता — जाट बोर्डिंग हाऊस, सीकर

पता — रेलवे स्टेशन के नजदीक, सीकर

रजिस्ट्रेशन — 9/सीकर/1987-88

मो. न. — 9414254222, 01572-224222

2. इतिहास — सीकर ठिकाना आजादी से किसान आंदोलन स्थली के रूप में पूरे भारत के लिए मिशाल रहा है। यहाँ 1922 में राव राजा कल्याण सिंह ठिकानेदार बना एवं उसने किसानों से बेगार शुरू करते हुए लाग-बाग दुगुना कर दिया एवं किसानों पर अत्याचार करने लगा। किसान इन अत्याचारों के विरुद्ध न्याय माँगने सीकर के न्यायालयों में जाते लेकिन लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से वे बहुत परेशान होने लगे क्योंकि सीकर में किसानों को रात रहने एवं बसने की इजाजत नहीं थी एवं ना ही उनके रहने की कोई जगह थी, इसलिए यहाँ के किसानों ने ठिकानेदार से शहर में भूमि देने की माँग की लेकिन उनकी माँग नकार दी गयी। 1925 में पुष्कर में भरतपुर महाराजा कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में यहाँ के किसान भाग लेने गये। किसानों ने वहाँ शिक्षा की महत्ता के बारे में जाना और वापस आकर फिर जाटों ने राव राजा कल्याण सिंह से सीकर में जाटों के लिए जमीन आवंटन करने का अनुरोध किया ताकि उनके बच्चें वहाँ रहकर पढ़ सकें एवं जाट किसान भी जरूरत पड़ने पर रात्री में वहाँ ठहर सकें। लेकिन उनकी माँग फिर अस्वीकार कर दी गयी। इस दौरान पिलानी में किसानों द्वारा जाट छात्रावास की शुरुआत कर दी गयी। धीरे-धीरे शेखावाटी के किसानों में भी जागरुकता एवं अत्याचार का विरोध करने का साहस बढ़ने लगा। वही विभिन्न समारोह सम्मेलन आदि से भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा। 11 से 13 फरवरी 1932 को झुझुनू में अखिल भारतीय जाट महासभा का 23 वाँ अधिवेशन आयोजित कर झुँझुनू में भी जाट बोर्डिंग का शिलान्यास किया गया। इस सम्मेलन के बाद श्री पृथ्वी सिंह गोठड़ा के नेतृत्व में सीकर के किसानों का एक शिष्टमंडल ठाकुर देशराज से मिला एवं सीकर की वस्तुस्थिति व उनकी माँगों के बारे में अवगत कराते हुए ऐसा सम्मेलन सीकर में आयोजित करने का अनुरोध किया, लेकिन ठिकानेदार के विरोध के कारण यह काम मुश्किल था। इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ठाकुर देशराज के नेतृत्व में पलथाना में अक्टूबर 1933 में एक सभा बुलाई गई जिसका पता लगने पर ठिकानेदार ने सभा स्थल पर पुलिस बल भेजा एवं पुलिस ने उन पर गोली बारी की लेकिन कोई मानवीय क्षति नहीं हुई। इसके बावजूद इस सभा में सीकर में धार्मिक यज्ञ कराने का प्रस्ताव पारित हुआ। वर्तमान जाट बोर्डिंग हाऊस संस्थान की जगह पर चौधरी नेतराम सिंह गौरिर तथा चौधरी पन्ने सिंह बाटडानाऊ के नेतृत्व में यज्ञ की तैयारियाँ की गयी। यज्ञ के बहाने जाटों को एकत्रित करना एवं उसमें जागृति लाना इसका मुख्य उद्देश्य था एवं रावराणा धार्मिक अनुष्ठान में बाधा भी नहीं डालेगा इसलिए यज्ञ का आयोजन किया गया। 20 जनवरी 1934 को यज्ञ प्रारम्भ हुआ जो 10 दिन चला, जिसमें 25 मण घी एवं 100 मण हवन सामग्री काम में ली गयी तथा इसमें 1 लाख लोग एकत्र हुए। महायज्ञ की भव्यता एवं विशालता के बाद जाट नेतृत्व ने रावराजा के समक्ष जाट बोर्डिंग के लिए भूमि आवंटन की माँग हेतु मिलने की योजना बनाई लेकिन इससे पहले ही महायज्ञ समिति के सचिव श्री मास्टर चन्द्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया तथा इसी अत्याचार के क्रम में किसानों को आतंकित करने के लिए जागीरदारों द्वारा मौका मिलने पर मारना पीटना, औरतों की बेईज्जती करना, बाजार में आने पर किसानों का सामान बिखेर देना, लगान वसूलने के लिए मारपीट करना सामान्य बात हो गयी। इसी दौरान चौधरी सर छोटू राम, कुवर रतन सिंह भरतपुर, ठाकुर देशराज, जधीना किसान नेता विजय सिंह पैथिक आदि के प्रयासों से किसान नेताओं एवं

रावराजा के मध्य 23.08.1934 को समझौता हुआ जिसमें प्रमुख शर्त सीकर में जाट बोर्डिंग के लिए जमीन आवंटन एवं जाटों पर अत्याचार नहीं करने का स्पष्ट प्रावधान था लेकिन राव राजा ने समझौते की पालना नहीं की एवं समझौते में शामिल जाटों पंचों को किले में बन्द कर दिया, तो जाटों ने पंच अन्य पंच पुनः चुन लिये लेकिन रावराजा ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया लेकिन जाट कब हार मानने वाले थे, उन्होंने पांच तीसरी बार चुन लिये। जाटों ने अपनी माँग नहीं छोड़ी। सीकर की कानून – व्यवस्था बिगड़ने पर सीकर के सीनियर ऑफिसर एवं जाट प्रतिनिधी के तौर पर सर छोटू राम चौधरी व कुवर रतन सिंह भरतपुर के साथ 15.03.1935 को पुनः समझौता हुआ कि जाटों से बेगार नहीं ली जाएगी। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोली जाएगी तथा जाट बोर्डिंग हाऊस संस्थान के लिए 07 बीघा जमीन सीकर में आवंटित की जाएगी लेकिन राजपूत जागीरदारों ने समझौता लागू नहीं करने दिया किसानों पर फिर अत्याचार शुरू कर दिए। 25.04.1935 को कूदन गाँव के पास सुखानी जोहड़ी, अजीतपुरा में रावराजा की पुलिस ने जाटों द्वारा लगान न देने का बहाना बनाकर की गई फायरिंग में 04 किसान शहीद हो गए। इससे पहले 20.03.1935 को खुड़ी गाँव में जाट दूल्हे द्वारा घोड़ी पर बैठकर तोरण मारने पर हुए जाट-राजपूत विवाद में राजपूतों ने 02 जाटों की हत्या कर दी। ये घटनाएँ जाटों में एकता लाने एवं अत्याचार का पुरजोर विरोध करने का और अधिक साहस भरने वाली साबित हुई।

किसानों पर हो रहे अत्याचारों से सीकर समाचारों के माध्यम से भारत भर में चर्चित हो गया। अतः सीकर के जाटों की जिजीविषा, साहस, अत्याचार का खुलकर विरोध एवं नही झुकने की नीति के चलते रावराजा को 1935 में झुकना पड़ा तथा बकाया लगान माफ कर चौधरियों को छोड़ दिया, लेकिन बोर्डिंग के लिए भूमि नहीं दी। सन् 1937 में जयपुर रियासत एवं सीकर ठिकाने के बीच विवाद हो गया तथा जून 1938 में जयपुर महाराजा ने रावराजा सीकर को पागल घोषित करते हुए सीकर ठिकाने को कोर्ट ऑफ वार्डस के अधीन लेकर रावराजा को दिल्ली निर्वासित कर दिया, इससे पहले रावराजा ने किसान पंचायत के 11 पंचों को अपने पक्ष में करने के लिए बुलाया लेकिन 11 पंचों ने अपनी पुरानी माँगों यथा लाग बाग, बेगार नहीं लेने व जाट बोर्डिंग की जमीन को तुरन्त देने की शर्त रखी, लेकिन ये शर्त नहीं मानने पर पंचों ने साथ नहीं देने का फैसला किया। तत्समय आईजी पुलिस मिस्टर यंग ने जाटों के पंचों से सम्पर्क साध कर कहा कि यदि आप जयपुर महाराजा का साथ दो तो वे आपकी माँगें मान लेंगे तो जाट साथ देने के लिए राजी हो गए तथा जयपुर महाराजा ने खोजी का डेरा (वर्तमान नगर परिषद् कार्यालय) जाट छात्रावास के लिए दे दिया।

कल्याणसिंह की रानी जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री से मिली एवं अपने पति को आजाद करवाने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री ज्ञाननाथ ने शर्त रखी कि सीकर ठिकाने के जाट नेता लिखकर दे जो कल्याण सिंह को आजाद किया जा सकता है। रानी ने 6 जाट नेताओं को उनकी माँग के सम्बन्ध में चर्चा करने राजकीय खर्च पर दिल्ली भेजा, जिसमें हरी सिंह बुरडक, ईश्वर सिंह भाम्बू, पन्ने सिंह, लेखराम डोटासरा, कन्हैयालाल महला, स्वरूपसर शामिल थे। वहाँ जाकर पंचों के साथ विचार विमर्श के बाद राव राजाकल्याण सिंह ने रेल्वे स्टेशन के पास जाट बोर्डिंग के लिए जमीन देने के लिए तैयार हो गया। तब जाकर जाट पंचों ने वापस आकर राव राजा कल्याण सिंह को छोड़ने हेतु अगस्त 1942 में जयपुर रियासत को लिखित में दिया, तब जाकर उनको छोड़ा गया।

बोर्डिंग का शिलान्यास – सीकर रावराजा को जाटों के लिखित समझौते के बाद हकबहाली होने के बाद वादे के मुताबिक जाटों की बोर्डिंग के लिए 05 बीघा भूमि दी गयी तथा बंसत पंचमी संवत् 1999 तदानुसार फरवरी 1993 को चौधरी ईश्वर सिंह भाम्बू, चौधरी हरि सिंह बुडकर, चौधरी कालू राम जी सुण्डा, चौधरी कानाराम जी बुकर, चौधरी दुगाराम जी भाम्बू, श्री हरि राम भुकर, चौधरी

भगवाना राम जी खिचड़ आदि के सानिध्य में रावराजा कल्याण सिंह द्वारा शिलान्यास किया गया तथा उसी मौके पर 07 बीघा और भूमि व अपने पुत्र हरदयाल सिंह के नाम से एक कमरों की राशि भी प्रदान की गई।

3. शिलान्यास के बाद — शिलान्यास के बाद श्री ईश्वर सिंह भाम्बू एवं श्री कालूराम की देख-रेख में निर्माण कार्य शुरू हुआ। शीघ्र श्री कन्हैयालाल ने एक टीन शेड में ही हॉस्टल शुरू कर दिया। इस छात्रावास का उद्घाटन सन् 1945 में सर छोटूराम ने समाज के गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में किया। 1946 में हॉस्टल में 15 कमरों 02 रसोई व चार दिवारी बन चुकी थी। 01 हॉल पलसाना के बुडकर जाटो के सहयोग से बनाया गया। 01 कमरा चौधरी गोपीराम, चौधरी ईश्वर सिंह भादू, श्री हरीराम द्वारा बनाया गया। उक्त छात्रावास में जुलाई 1946 में विधिवत रूप से 16 छात्रों को प्रवेश देकर छात्रावास शुरू कर दिया गया। छात्रावास में और निर्माण कार्य करवाने के लिए शिलान्यास के बाद चौधरी धन्ना रामजी, श्री भगवानाराम खीचड़, श्री रणमल सिंह, बोर्डिंग के छात्र (श्री बलवीर जाखड़) श्री नवलाराम ढाका ने भी चन्दा एकत्र करवाने में अच्छा सहयोग दिया। कुछ समय बाद श्री चन्द्र सिंह बिजारणिया, चौधरी हेमासिंह सुण्डा, श्री लाल सिंह कुल्हरी एवं श्री रणमल सिंह ने इस कार्य को कर्मठता से करते हुए चन्दा एकत्र कर छात्रावास में विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निर्माण कार्य करवाया। सर छोटू राम श्री बलदेव राम मिर्धा का हॉस्टल के सम्बन्ध में समय — समय पर मार्गदर्शन एवं समर्थन मिलने से किसान अधिक संगठित होकर अपना हक मागने लगे

शुरू में पट्टे की शर्तों के मुताबिक कमरों में पक्का फर्श नहीं था लेकिन श्री रणमल सिंह जो पहले सरपंच एवं बाद में 1965 में पीपरली के प्रधान बने उन्होंने एवं अन्य सक्रिय सदस्यों ने प्रयास करके 1965—66 में तीन कमरों, एक रसोई घर, बरामदा, कमरों की मरम्मत एवं सभी कमरों की पक्की फर्श (कोटास्टोन) बनाई गई। श्री रणमल सिंह सरल स्वभाव वाले बेहद ईमानदार, सहनशील एवं समाज के लिए सर्वस्व समर्पित व्यक्तित्व रहे हैं जो हमेशा छात्रावास हित में कर्म करते रहे।

इस छात्रावास की कमेटी का 01.12.1976 को पुनर्गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष श्री रणमल सिंह, सचिव श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा, कोषाध्यक्ष श्री भागीरथ सिंह जाखड़ बनाये गये। इस कमेटी ने पुरानी पड़ चुकी छात्रावास बिल्डिंग को रिपेयरिंग का कार्य चंदे से करवाया। पूर्व में छात्रावास संस्था पंजिकृत नहीं थी, इसलिए इसे 1987—88 में पंजिकृत करवाया गया। छात्रावास शुरू से कड़े अनुशासन व प्रबंधन एवं शैक्षिक वातावरण के चलते विद्यार्थियों के लिए शहर में उत्तम आवास व शिक्षार्जन केन्द्र बना रहा लेकिन 1990 के दशक में कतिपय कारणों से थोड़ा माहोल प्रतिकूल होने लगा। अप्रैल 1987 में एक घटना के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी तथा यह छात्रावास जिला प्रशासन द्वारा कूर्क कर लिया। कोर्ट में केस दाखिल हो गया जो 10 वर्ष तक चला। यह छात्रावास कोर्ट आदेश से पुन जिससे ली गयी थी, उन्हें वापस देने के आदेश उसी वर्ष हो गये थे, लेकिन प्रशासन ने उक्त परिसर को कोर्ट में रि-अटैच करवा दिया था इसलिए उक्त केस कोर्ट में लम्बित रहा, एवं समाज की अमूल्य धरोहर वापस नहीं मिली। 1997—98 में सीकर में चौधरी श्री जगपाल सिंह बागपत सेशन न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित हुए एवं जिले की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी जानकारी में यह प्रकरण आया। उन्होंने समाज के दोनों पक्षों का उचित मार्गदर्शन किया जिससे दोनों पक्ष सहमत होकर कोर्ट में राजीनामा पेश कर दिया और पाँच सदस्यो यथा श्री रणमल सिंह, श्री कन्हैयालाल, श्री त्रिलोक सिंह, श्री गणेश बेरवाल एवं श्री रामदेव सिंह गढ़वाल की कमेटी बनाकर हॉस्टल वापस लेने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की टालमटोल की स्थिति के कारण छात्रावास समाज को नहीं मिली। अतः राजस्थान हाई कोर्ट में पेश किये गये अवमानना के मध्यनजर उक्त छात्रावास 10.12.

1998 को श्री रणमल सिंह को भौतिक रूप से सुपुर्द कर दी गयी। तब से उक्त छात्रावास पुनः नये तरीके से संचालित होने लगी। जब यह छात्रावास 1998 में पुनः प्राप्त हुई तब इसमें 16 कमरें थे एवं पुनः शुरु होने पर अधिक कमरों की जरूरत महसूस हुई इसलिए तत्कालीन अध्यक्ष श्री रणमल सिंह विधायक, सचिव श्री गणेश बेरवाल, कोषाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह भूकर श्री रतन सिंह गोठड़ा, श्री रुघाराम मीन ठेकेदार सहित अन्य समाज सेवियों ने मिलकर समाज से चंदा करने और अधिक कमरें बनाने की योजना बनी इसके तहत पूरा कमरा था। आंशिक दानदाताओं को प्रोत्साहित किया जिसके परिणाम स्वरूप जल्दी ही 92 नये कमरें बन गए, जिससे वर्तमान में कुल 108 कमरें हो गए हैं। साथ ही मुख्य द्वार, रसोई घर, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय हॉल आदि भी शामिल हैं।

09 अगस्त 2002 को शहीद दिवस के मौके पर श्री घासीराम सीगड़ी द्वारा छात्रावास के उत्तरी-पूर्वी कोने के नए भवन का शिलान्यास किया गया, जिसका निर्माण.....।

सीकर में भूकर गोत्र के जाटों द्वारा भूकर भोजनालय बनाया गया है जिसमें डाईगिंग हॉल भी शामिल है।

छात्रावास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कॉमरेड त्रिलोक सिंह की स्मृति में आओ सीखो और education for all, के सपने को साकार करने हेतु त्रिलोक सिंह रिसर्च इंस्टीट्यूट 10 करोड़ रुपयों की लागत से बनाने की योजना है, जिसमें भूतल पर ऑफिस, स्मार्ट रुम, प्रथम मंजिल पर हाइटेक लाइब्रेरी दूसरी मंजिल पर फिजिक्स म्यूजियम तथा हिस्ट्री व आर्कियोलॉजी म्यूजियम बनाए जाएंगे।

इसी छात्रावास के पास वर्तमान में लगभग 20 बीघा भूमि है जिसमें से 10 बीघा श्री त्रिलोक सिंह की खातेदारी जमीन शामिल कर ली गई है।

4. कार्यकारिणी – प्रथम कार्यकारिणी –

संरक्षक एवं अध्यक्ष कार्यकाल– 1. श्री ईश्वर सिंह भाम्बू 1943 से 1950 तक इसके बाद संरक्षक रहे

2. श्री त्रिलोक सिंह 1950 से 1987 तक संरक्षक भी रहे।

3. श्री रणमल सिंह 1976 से निरंतर अध्यक्ष पद पर हैं।

वर्तमान कार्यकारिणी –

1. अध्यक्ष – श्री रणमल सिंह पूर्व विधायक
2. उपाध्यक्ष – श्री रणवीर सिंह भूकर
3. सचिव – श्री गणेश बेरवाल
4. कोषाध्यक्ष – श्री बनवारी लाल नेहरा
5. अन्य 15 सदस्य हैं।

5. **भौतिक संसाधन** – इस छात्रावास में वर्तमान में आवासीय 108 कमरें बने हुए हैं, जिनकी विद्यार्थी क्षमता 250 है। साथ ही भोजनालय, पुस्तकालय (3000 पुस्तक युक्त) व 1000 की बैठक क्षमता वाले एक ऑडिटोरियम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि के खेल मैदान स्थित हैं।

6. **विद्यार्थी विवरण** – जुलाई 1946 में 16 विद्यार्थियों के साथ शुरु हुआ यह छात्रावास सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की कर्मस्थली बना है। वर्तमान में इसमें कॉलेज, शिक्षा एवं कम्पीटीशन की तैयारी करने वाले 186 विद्यार्थी रहते हैं।

7. **प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमावली** – पहले आओं, पहले पाओं के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।
8. **भोजन व्यवस्था** – छात्रावास की शुरुआत के समय तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार यह व्यवस्था थी कि विद्यार्थी घर से आटा पीसाकर लाता था एवं सब्जी सामूहिक बनती थी, यह व्यवस्था 1970 तक चली, इसके बाद आटा चक्की आने से समस्त व्यवस्थाएँ छात्रावास में ही करवा दी गईं। तब से सामूहिक मैस की व्यवस्था चल रही है। समय की माँग एवं विद्यार्थियों की अधिक संख्या के कारण अब स्वचालित मशीन एवं रसोईयों द्वारा निर्धारित मीनू के मुताबिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए वार्डन की देखरेख में छात्रावासी विद्यार्थियों की एक कमेटी बनाई गयी है, जो सम्पूर्ण व्यवस्था सभालती है। विद्यार्थियों द्वारा मैस प्रबंधन सभालने की परिपाटी इस छात्रावास में शुरू से रही है।
9. **दानदाता सूची** – पुस्तक से पीडीएफ लेनी है।
10. **शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियाँ** –

जाट बोर्डिंग हाऊस, सीकर का शेखावाटी क्षेत्र के किसानों की जागृति एवं शैक्षिक उन्नयन में बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ जागीदारों से संघर्ष में कुदने में किसानों के शहीद होने की घटना के बाद किसानों विशेष कर जाटों का साथ रियासत के विरुद्ध अपने हक की लड़ाई तेज हो गई। एव अन्दर किसानों एव सीकर के राव राजा की बीच भूमि कर एव खातेदारी को लेकर समझौता हो गया। इसी क्रम में जाटों ने रावराजा सीकर कृष्ण कल्याण सिंह से सीकर रेल्वे स्टेशन के पास जाट बोर्डिंग हेतु जमीन मागी, लेकिन उसने मना कर दिया। इसी दौरान सीकर राज्य एव जयपुर महाराजा के मध्य विवाद पैदा हो गया। एवं उसे दण्ड स्वरूप दिल्ली नजरबन्द कर दिया।